उत्तर प्रदेश शासन

कृषि अनुभाग-2

संख्या: 80/2017/3895/12-2-2017-83/2017

लखनऊ: दिनांक: 10 नवम्बर, 2017

<u>कार्यालय ज्ञाप</u>

प्रदेश के किसानों के उन्नयन एवं उनके सतत विकास हेतु कृषि एवं कृषि से संबंधित अन्य क्षेत्रों के कार्यो को लाभकारी बनाने तथा किसानों की आमदनी दुगनी करने हेतु "कृषक समृद्धि आयोग" के गठन का निर्णय लिया गया है। उक्त आयोग कृषकों की आय 2022 तक दुगनी करने के लिए समय-समय पर सुझाव देगा। इस हेतु प्रदेश में "कृषक समृद्धि आयोग" के गठन की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. गठित "कृषक समृद्धि आयोग" का स्वरूप निम्नवत होगा:-

1.	मा0 मुख्य मंत्री जी, उत्तर प्रदेश	अध्यक्ष
2.	मा0 कृषि मंत्री जी, उत्तर प्रदेश	उपाध्यक्ष
3.	प्रो0 रमेश चन्द, सदस्य, नीति आयोग, भारत सरकार	उपाध्यक्ष
4.	मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य
5.	कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य
6.	प्रमुख सचिव, कृषि, उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य-सचिव
7.	उप महानिदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली	सरकारी सदस्य
8.	डा0 यू0 एस0 सिंह, अन्तर्राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान (आई0आर0आर0आई0), फिलीपीन्स (भारत)	गैर सरकारी सदस्य
9.	महानिदेशक,आई0सी0आर0आई0एस0ए0टी0, हैदराबाद	गैर सरकारी सदस्य
10.	श्री मंगला राय, पूर्व महानिदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली	गैर सरकारी सदस्य
11.	प्रो0 (डा0) सुरेन्द्र कुमार, गिरि संस्थान, लखनऊ	गैर सरकारी सदस्य
12.	प्रो0 (डा0) सुशील कुमार, आई0आई0एम0, लखनऊ	गैर सरकारी सदस्य
13.	डा0 आर0 बी0 सिंह, पूर्व निदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद	गैर सरकारी सदस्य
14.	श्री राम सरन वर्मा, जनपद बाराबंकी, औद्यानिक क्षेत्र (केला, आलू एवं टमाटर)	कृषक प्रतिनिधि

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

15.	श्री प्रेम सिंह, जनपद बांदा (वर्मी कम्पोस्ट तथा नवीन शस्य क्रियाओं के प्रेरक)	कृषक प्रतिनिधि
16.	श्री जय प्रकाश सिंह, जनपद वाराणसी (किसान पौध प्रजातियों का संरक्षण एवं बौद्धिक सम्पदा अधिकार विशेषज्ञ, प्रगतिशील कृषक)	कृषक प्रतिनिधि
17.	श्री धर्मेन्द्र मलिक (भारतीय किसान यूनियन) मुजफफरनगर (प्रगतिशील कृषक- गन्ना क्षेत्र)	कृषक प्रतिनिधि
18.	श्री यशपाल सिंह, लखीमपुर खीरी (पशुपालक कृषक)	कृषक प्रतिनिधि
19.	श्री अरविन्द खरे, महोबा (जैविक खेती क्षेत्र)	कृषक प्रतिनिधि
20.	श्री मुउनुददीन, बाराबंकी (फूलों की खेती एवं फूलों के निर्यातक)	कृषक प्रतिनिधि
21.	श्री वेद व्यास सिंह, देवरिया (अण्डा उत्पादक) (कृषक समूह संगठन) एफ0पी0ओ0 संचालक	कृषक प्रतिनिधि
22.	श्री जनार्दन निषाद, आजमगढ (मत्स्य बीज एवं मत्स्य उत्पादक)	कृषक प्रतिनिधि
23.	प्रतिनिधि महिन्द्रा एवं महिन्द्रा	कारपोरेट प्रतिनिधि
24.	प्रतिनिधि आई0टी0सी0	कारपोरेट प्रतिनिधि

3. उक्त आयोग में विशेष आमंत्री सदस्य निम्नवत होंगे, जिन्हे यथावश्यकता आमंत्रित किया जायेगा:-

1	प्रमुख सचिव, सहकारिता विभाग, उत्तर प्रदेश शासन
2	प्रमुख सचिव, पशुधन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन
3	प्रमुख सचिव, मत्स्य विभाग, उत्तर प्रदेश शासन
4	प्रमुख सचिव, उद्यान विभाग, उत्तर प्रदेश शासन
5	प्रमुख सचिव, रेशम विभाग, उत्तर प्रदेश शासन
6	प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन
7	प्रमुख सचिव, चीनी उद्योग विभाग, उत्तर प्रदेश शासन
8	प्रमुख सचिव, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश शासन
9	प्रमुख सचिव, लघु सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश शासन
10	प्रमुख सचिव, वन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन
11	प्रमुख सचिव, खाद्य एवं रसद विभाग, उत्तर प्रदेश शासन
12	निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, लखनऊ
13	कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

उक्त सदस्यों के अतिरिक्त 04 सदस्यों को मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा नामित किया जायेगा।

4. गठित कृषक समृद्धि आयोग कृषकों की आय 2022 तक दुगनी करने के प्रयोजन से निम्निलखित पर विचार कर मार्ग-दर्शन प्रदान करेगी:-

(1) कृषि, उद्यान, पशुपालन, मत्स्य पालन, रेशम पालन आदि विविध कार्यो के निष्पादन में किसानों के शक्तियों एवं उनकी निर्बलताओं की समीक्षा करना।
(2) विविध कृषि जलवायु वाले क्षेत्रों का मूल्यांकन करते हुए राज्य मे टिकाऊ और समान कृषि विकास को प्राप्त करने के लिए वृहद कार्य नीतियों को तैयार करना।
(3) फसलों के उत्पादन लागत में कमी करते हुए अधिक उत्पादन प्राप्त करने हेतु सुझाव देना।
(4) फसलों के भण्डारण तथा उनके विपणन की व्यवस्था को सुदृढ करने हेतु सुझाव देना।
(5) खेती से होने वाली आय के गिरावट के लिए उत्तरदायी कारकों का विश्लेषण करना तथा किसानों की आमदनी को बढाने के उपायों का सुझाव देना।
(6) राज्य की प्रमुख फार्मिंग प्रणालियों की उत्पादकता, लाभप्रदता, टिकाऊपन और स्थिरता को बढाने की विधियों को प्रस्तावित करना।
(7) कृषि, औद्योगिकी, पशुधन, मत्स्य, मुर्गी पालन,सेरीकल्चर, कृषि वानिकी एवं दुग्ध विकास के लिए सुझाव देना तथा इसमें सामंजस्य को स्थापित कराना।
(8) बीज, उर्वरक, कीटनाशक के समुचित उपयोग की कार्यविधि के साथ-साथ इनके उपयोग के सम्बन्ध में उपायों को सुझाव प्रदान करना।
(9) कृषि एवं कृषि से संबंधित क्षेत्रों के अन्तर्गत वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्रदान करने तथा ऋण के उपयोग करने के सम्बन्ध में सुझाव देना।
(10) मृदा सुधार के सम्बन्ध में सुझाव देना।
(11) भू-गर्भ जल का कम से कम उपयोग करते हुए उपलब्ध सतही जल से फसलों के अधिक से अधिक उत्पादन को प्राप्त करने हेतु सुझाव देना।
(12) जलवायु परिवर्तन से फसलों के उत्पादन में आने वाले दुष्प्रभावों को रोकने के उपायों एवं पर्यावरण को सन्तुलित रखने हेतु सुझाव देना।
(13) को-आपरेटिव फार्मिंग, कान्ट्रेक्ट फार्मिंग, कलेक्टिव फार्मिंग या कारपोरेट फार्मिंग के सम्बन्ध में विचार करते हुए सुझाव देना।
(14) फसलों के उत्पादन के सम्बन्ध में अल्प एवं दीर्घकालीन नीतियों का सुझाव देना।
(15) कृषि एवं संबंधित कार्यो की Efficiency and Cost Effectivness के सम्बन्ध में सुझाव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

देना।

5. बजट की व्यवस्था निम्नानुसार की जायेगी:-

(1) आयोग के शासकीय कार्यो के संचालन हेतु विभिन्न आवश्यक मदों में धनराशि की व्यवस्था मा0 सदस्यों को मानदेय, मा0 सदस्यों की बैठकों अथवा अन्य भ्रमण हेतु यात्रा एवं दैनिक भत्ता इत्यादि की व्यवस्था आर0के0बी0वाई0 अथवा अन्य किसी योजना के प्रशासनिक व्यय मद से की जायेगी।

(2) समस्त व्ययों को शासकीय नियमों में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत सुनिश्चित किया जायेगा।

6. कृषक समृद्धि आयोग के कार्यो पर विभिन्न मदों में हुए व्यय का नियमानुसार सम्प्रेक्षण सुनिश्चित किया जायेगा।

राज प्रताप सिंह
कृषि उत्पादन आयुक्त।

संख्या: 80/2017/3895(1)/12-2-2017 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्य मंत्री जी, उत्तर प्रदेश शासन।
2. निजी सचिव, मा0 कृषि मंत्री जी, उत्तर प्रदेश शासन।
3. प्रो0 रमेश चन्द्र, सदस्य, नीति आयोग, भारत सरकार।
4. मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
5. कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
6. प्रमुख सचिव, कृषि, उत्तर प्रदेश शासन।
7. उप महानिदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली।
8. डा0 यू0 एस0 सिंह, अन्तर्राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान (आई0आर0आर0आई0), फिलीपीन्स।
9. महानिदेशक, आई0सी0आर0आई0एस0ए0टी0, हैदराबाद।
10. श्री मंगला राय, पूर्व महानिदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली।
11. प्रो0 (डा0) सुरेन्द्र कुमार, गिरि संस्थान, लखनऊ।
12. प्रो0 (डा0) सुशील कुमार, आईआई0एम0, लखनऊ।
13. डा0 आर0 बी0 सिंह पूर्व निदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद।
14. श्री राम सरन वर्मा, जनपद बाराबंकी, औद्यानिकी क्षेत्र (केला, आलू एवं टमाटर)
15. श्री प्रेम सिंह, जनपद बांदा (वर्मी कम्पोस्ट तथा नवीन शस्य कियाओं के प्रेरक)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

16.श्री जय प्रकाश सिंह, जनपद वाराणसी (किसान पौध प्रजातियों का संरक्षण एवं बौद्धिक सम्पदा अधिकार विशेषज्ञ प्रगतिशील कृषक)

17.श्री धर्मेन्द्र मलिक (भारतीय किसान यूनियन), मुजफफरनगर (प्रगतिशील कृषक-गन्ना क्षेत्र)

18.श्री यशपाल सिंह, लखीमपुर खीरी (पशुपालक कृषक)

19.श्री अरविन्द खरे, महोबा (जैविक खेती क्षेत्र)

20.श्री मुदनुददीन, बाराबंकी (फूलों की खेती एवं फूलों के निर्यातक)

21.श्री वेद व्यास सिंह, देवरिया, अण्डा उत्पादक (कृषक समूह संगठन) एफ0पी0ओ0 संचालक।

22.श्री जनार्दन निषाद, आजमगढ (मत्स्य बीज एवं मत्स्य उत्पादक)।

23.प्रतिनिधि महिन्द्रा एवं महिन्द्रा।

24.प्रतिनिधि आई0टी0सी0।

आज्ञा से,

(ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।